न्यायालय : सेशन न्यायाधीश, विशिष्ट न्यायालय,भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रकरण,श्रीगंगानगर। (राजस्थान)

———————————————————————————

पीठासीन अधिकारीः— अनु चौधरी ,आर.जे.एस.(जिला न्यायाधीश सवंर्ग)
सैशन प्रकरण संख्या 99 / 2013

स्टेट ऑफ राजस्थान

बनाम्

इन्द्राज आदि

उपस्थित—

1. विशिष्ट लोक अभियोजक राज्य पक्ष की ओर से।
2. श्री श्रीराम एवं श्री फलभूरसिंह—अधिवक्तागण—अभियुक्तगण की ओर से।

दिनांक : 14.08.2024

आदेश

01— हस्तगत आदेश द्वारा विशिष्ट लोक अभियोजक की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकित 29.07.2024 का निस्तारण किया जा रहा है।

02— विशिष्ट लोक अभियोजक की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि प्रकरण में गवाह दिलीप जाखड़ के बयान पी.ड—13 के रूप में दिनांक 12.7.24 को हो चुके हैं। परन्तु इस प्रकरण में धारा 65—बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र दौराने साक्ष्य न्यायालय में पेश करना सहवनवश रह गया है। धारा 65—बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र पर प्रदर्श करवाने हेतु गवाह दिलीप जाखड़ को पुनः बुलाया जाना आवश्यक है। अंत में उक्त गवाह को पुनः न्यायालय में तलब करने का निवेदन किया।

03— विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण को उक्त प्रार्थना पत्र की नकल दिलवाई गई, जिन्होंने जवाब पेश करने के लिए समय चाहा परन्तु आज दिनांक 14.08.2024 को जवाब प्रार्थना पत्र पेश ना कर सीधे बहस करना चाहा।

04— बहस उभय पक्ष सुनी गयी व पत्रावली का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया गया।

05— विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्तगण को उक्त प्रार्थना पत्र की नकल दिलवाई गई, जिन्होंने पृथक से लिखित में जवाब प्रस्तुत ना कर मौखिक रूप से इस आशय का तर्क प्रस्तुत किया कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह कहीं भी उजागर नहीं किया गया है कि पुनः तलब किये जाने वाले साक्षी की साक्ष्य किस प्रकार सुसंगत है। विभिन्न न्यायनिर्णयों द्वारा यह प्रतिपादित किया है कि किसी भी पक्षकार द्वारा पूर्व में छोड़े गये छिद्रों को भरने के लिए इन शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जायेगा। अभियोजन पक्ष द्वारा मात्र छिद्रों को भरने के लिए तथा केवलमात्र देरीना करने के आशय से यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अंत में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

06— विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा बहस के दौरान विशेष रूप से इस तर्क पर बल देते हुए निवेदन किया है कि इस प्रकरण में साक्षी दिलीप जाखड़ की साक्ष्य दिनांक 12.7.24 को पी.ड—13 के रूप में लेखबद्ध की जा चुकी है, किन्तु उक्त गवाह की साक्ष्य के दौरान धारा 65—बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र सहवन से पेश कर प्रदर्शित करवाने से रह गया है। अतः उक्त साक्षी को साक्ष्य हेतु पुनः तलब किये जाने का निवेदन किया।

07— उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। यह स्वीकृत स्थिति है कि गवाह पी.ड—13 दिलीप जाखड़ जिसकी सम्पूर्ण साक्ष्य इस न्यायालय में दिनांक 12.7.24 को लेखबद्ध की जा चुकी है परन्तु उक्त साक्षी द्वारा अपनी साक्ष्य में धारा 65—बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र प्रदर्शित नहीं करवाया गया है। पत्रावली पर फर्द ट्रांस्क्रिप्शन रिश्वत मांग सत्यापन तथा फर्द बरामदगी रिश्वत सूची अभिलेख में अंकित है जो पत्रावली में उपलब्ध है, जिनको प्रमाणित करने हेतु धारा 65—बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। केवलमात्र धारा 65—बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र चार्जशीट के साथ पेश नहीं किये जाने से धारा 65—बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र व प्रकरण के निस्तारण में महत्वता किसी प्रकार से कम नहीं होती, यहां विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा जाहिर नहीं किया गया है कि उक्त प्रमाण पत्र

देरी से पेश करने एवं साक्षी पी.ड–13 दिलीप जाखड़ को पुनः तलब किये जाने से अभियुक्तगण किस प्रकार से पूर्वाग्रह से ग्रस्त होंगे। धारा 65–बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र विचारण के दौरान न्यायालय की अनुमति से किसी भी स्टेज पर प्रस्तुत किया जा सकता है।

08– माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांत अर्जुन पंडितराव खोटकर बनाम कैलाश कुशनराव गोरनत्याल एवं अन्य सिविल अपील नम्बर 2407 ऑफ 2018 और सिविल अपील नम्बर 3696 ऑफ 2018 में यह माना है कि डिजिटल साक्ष्य से संबंधित भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65–बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र न्यायालय में विचारण के दौरान किसी भी स्टेज पर प्रस्तुत किया जा सकता है।

09– अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के मद्देनजर विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है, इसलिये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न धारा 65–बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र को रिकॉर्ड पर लिया जाकर पत्रावली में शामिल करने व प्रकरण के साक्षी पी.ड–13 दिलीप जाखड़ को साक्ष्य में पुनः तलब किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्तानुसार प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाता है।

(अनु चौधरी)

10– आदेश आज दिनांक 14.08.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अनु चौधरी)